न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 3/2026

डेडराज पुत्र सुरजाराम, जाति जाट, निवासी रामलालपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।
––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज0)
––रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सुरेन्द्र अन्तर्गत धारा 91(6) राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मु0नं0 300/2025 निर्णय दिनांक 30.12.2025

––

उपस्थित :–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 30.12.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहतत द्वारा अपीलान्ट को आराजी हाल खसरा नं0 173/115 रकबा 13.7600 है0 सरहद मौजा रामलालपुरा में से 1.20 है0 जमीन पर अतिक्रमी मानकर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। नियत पेशी दिनांक 24.09.2025 को अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुआ और लिखित मे यह जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट स्वयं ने जमीन जैर बहस को काश्त नही किया है और यह कथन किया कि अपीलान्ट 80 वर्ष से भी अधिक आयु का व्यक्ति है तथा काश्त करने मे सक्षम नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब को अदालत मातहत ने शामिल मिसल नही किया है। ऐसा पत्रावली की आदेशिकाओं से प्रकट होता है। अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्ज कर एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कर अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 24.09.2025 को मौखिक यह कहा था कि वे जबाब नोटिस के कम मे पुनः जांच करवायेंगें और इसके बाद पुनः अपीलान्ट को सूचित कर कार्यवाही की जावेगी और अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी नही बताई गई। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही मिला। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नही मिला। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91(6) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने मे कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का ने रिपार्ट गलत की है। पूर्व की बेदखली दिनांक 17.06.2025 साक्ष्य मे प्रदर्शित नही करवाई गई है। अदालत मातहत ने फर्द कुर्की दिनांक 08.09.2025 व फर्द निलामी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दिनांक 15.09.2025 अपीलान्ट की मौजूदगी मे अथवा जानकारी व सहमति से तैयार की हो यह भी दर्ज नही है। तथाकथित पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नही है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नही है। रिपोर्ट पटवारी के साथ फर्द नपति नही है। अपीलान्ट जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा काश्त नही है और न ही अपीलान्ट भविष्य मे जमीन जैर बहस पर कब्जा करेगा इस बाबत शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। जमीन जैर बहस की किस्म बंजर है। आदेश जैर बहस की जानकारी अपीलान्ट को समाचार पत्र के मार्फत हुई। अतः अपील पेश कर निवदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। नियत पेशी दिनांक 24.09.2025 को अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुआ और लिखित मे यह जबाब प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट स्वयं ने जमीन जैर बहस को काश्त नही किया है और यह कथन किया कि अपीलान्ट 80 वर्ष से भी अधिक आयु का व्यक्ति है तथा काश्त करने मे सक्षम नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब को अदालत मातहत ने शामिल मिसल नही किया है। ऐसा पत्रावली की आदेशिकाओं से प्रकट होता है। अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्ज कर एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कर अदालत मातहत ने तथ्य व विधि की भूल की है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 24.09.2025 को मौखिक यह कहा था कि वे जबाब नोटिस के क्रम मे पुनः जांच करवायेंगें और इसके बाद पुनः अपीलान्ट को सूचित कर कार्यवाही की जावेगी और अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी नही बताई गई। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही मिला। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नही मिला। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91(6) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने मे कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का ने रिपार्ट गलत की है। पूर्व की बेदखली दिनांक 17.06.2025 साक्ष्य मे प्रदर्शित नही करवाई गई है। अदालत मातहत ने फर्द कुर्की दिनांक 08.09.2025 व फर्द निलामी दिनांक 15.09.2025 अपीलान्ट की मौजूदगी मे अथवा जानकारी व सहमति से तैयार की हो यह भी दर्ज नही है। तथाकथित पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नही है। अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नही है। रिपोर्ट पटवारी के साथ फर्द नपति नही है। अपीलान्ट जमीन जैर बहस पर भौतिक कब्जा काश्त नही है और न ही अपीलान्ट भविष्य मे जमीन जैर बहस पर कब्जा करेगा इस बाबत शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है। जमीन जैर बहस की किस्म बंजर है। आदेश जैर बहस की जानकारी अपीलान्ट को समाचार पत्र के मार्फत हुई। अतः अपील पेश कर निवदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2025 को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने आराजी हाल खसरा नं0 173/115 रकबा 13.7600 है0 सरहंद मौजा रामलालपुरा में से 1.20 है0 जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम रामलालपुरा स्थित आराजी हाल खसरा नं0 173/115 रकबा 13.7600 है0 सरहद मौजा रामलालपुरा में से 1.20 है0 जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्ट ने शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.12.2025 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है या नही हटाया है इस बाबत जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील अपीलान्ट स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं